

झारखण्ड विधान सभा

कार्य सूची

पंचम झारखण्ड विधान-सभा

मंगलवार, तिथि-

02 मार्च, 2021 (ई0)

[पंचम(बजट)सत्र]

11 फाल्गुन, 1942(श0)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय-11:00 बजे पूर्वाह्न)

प्रारम्भिक-कार्य

-:प्रश्नोत्तर:-

- (01)- सभा के गत-सत्र के अतारंकित तथा अनागत प्रश्नों के उत्तर का सभा सचिव द्वारा पटल पर रखा जाना (यदि हो)।
- (02)- अल्प-सूचित एवं तारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर।
- (03)- शून्यकाल की सूचनाएँ।

-: ध्यानाकर्षण-सूचनाएँ एवं उसपर सरकार का वक्तव्य :-

- (04)-श्री विनोद कुमार सिंह,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (ऊर्जा विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-01.03.2021 से स्थगित)
- (05)- श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन,स0वि0स0 एवं प्रो0 स्टीफन मराण्डी,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (परिवहन विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-01.03.2021 से स्थगित)
- (06)-श्री रामचन्द्र सिंह,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (गृह कारा विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (07)- प्रो0 स्टीफन मराण्डी,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (स्वास्थ्य धिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग) की ओर से वक्तव्य।

कू0पू030/—

-: 02 :-

- (08)-श्री रामदास सोरेन एवं श्रीमती सखिता महतो,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (खान एवं भूतत्व विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (09)-डॉ0 लम्बोदर महतो, स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (ग्रामीण विकास विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (10)-श्री सरयू राय, स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।

-: समितियों का गठन :-

- (11)- झारखण्ड विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य-संचालन के नियम के अनुसरण में समितियों का गठन (यदि हो)।

-: सभा के समक्ष प्रतिवेदनों का रखा जाना :-

- (12)- झारखण्ड विधान सभा की समितियों के प्रतिवेदनों का सभा-पटल पर रखा जाना (यदि हो)।
- (13)- याचिकाओं का उपस्थापन (यदि हो)।

-: वित्तीय-कार्य :-

- (14)-योजना-सह-वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ0 रामेश्वर उराँव द्वारा झारखण्ड सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 की प्रति का उपस्थापन।
- (15)- वित्तीय वर्ष 2020-21 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित अनुदानों की माँगों पर वाद-विवाद सरकार का उत्तर तथा मतदान।
(कटौती प्रस्तावों की सूची अलग से वितरित की जा रही है)

-: विधायी-कार्य :-

राजकीय(वित्त)विधेयक

झारखण्ड विनियोग (संख्या-01) विधेयक,2021

- (16)- प्रभारी मंत्री (योजना-सह-वित्त) डॉ0 रामेश्वर उराँव,प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड विनियोग (संख्या-01) विधेयक,2021" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (17)- प्रभारी मंत्री (योजना-सह-वित्त) डॉ0 रामेश्वर उराँव,उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।

कृ०पृ०३०/---

- (18)- प्रभारी मंत्री (योजना-सह वित्त) डॉ० रामेश्वर उरौंव, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड विनियोग (संख्या-01) विधेयक, 2021" पर विचार हो।
- (19)- प्रभारी मंत्री (योजना-सह वित्त) डॉ० रामेश्वर उरौंव, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड विनियोग (संख्या-01) विधेयक, 2021" स्वीकृत हो।
- (20)- अन्य नितान्त आवश्यक कार्य (यदि हो)।

महेन्द्र प्रसाद

सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-01/2021-760/वि०स०, राँची, दिनांक-01/3/21

प्रतिलिपि:- माननीय सदस्यगण, झारखण्ड विधान-सभा, राँची/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/सरकार के मुख्य सचिव, झारखण्ड/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची/ लोकसभा, नई दिल्ली/झारखण्ड सरकार के समस्त विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(गुरुचरण सिंक्)

उप सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-01/2021-760/वि०स०, राँची, दिनांक-01/3/21

प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवालय कार्यालय को कनश: माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-01/2021-760/वि०स०, राँची, दिनांक-01/3/21

प्रतिलिपि:- झारखण्ड विधान-सभा के सभी पदाधिकारीगण/वेबसाईट शाखा/पुस्तकालय शाखा एवं जनसम्पर्क शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

गोपी कृष्ण भगत/

31/01/21
01/03/21